FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

खेमाराम वगैरा बनाम प्रहलादराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 115 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/6/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/6/2020 को पेश हो। विवेक व्यास 16.6.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/06/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस वास्ते बहस पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो। विवेक व्यास	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:44:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उ...
आवेदन / 2020 / ...
आवेदन संख्या –115 / 2020
प्रार्थी
श्री खेमाराम पुत्र ...
बगेरा 04, ...
निवासी ...

08/07/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवकता को एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवकता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आये हुए है प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतो के मध्य जो पुरानी मोडे व कणे आये हुए थे जो वर्तमान मे आंधियो की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेतो की सीमाओं का सही ज्ञान नही हो पा रहा है। जिस कारण प्रार्थी व विप्रार्थीगणो के मध्य सेढ़ों को लेकर तनाव बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु नेखमबंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवकता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बधित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के ~~खेतो~~ खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
8.7.20

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:44:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 489

दिनांकः– 8/7/2020

राजस्व आवेदन संख्या –115 / 2020

प्रार्थी बनाम **विप्रार्थीगण**

श्री खेमाराम पुत्र लालाराम वगैरा 04, जाति–जाट, निवासी–जसनाथ नगर, नया सोमेसरा तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

श्री प्रहलादराम पुत्र श्री जुगताराम वगैरा 19, निवासी–जसनाथ नगर, नया सोमेसरा तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा जसनाथ नगर, नया सोमेसरा पटवार हल्का नौसर तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 564 / 80, 95 रकबा क्रमशः 3.3331, 11.9975 हैक्टेयर कुल रकबा 15.3306 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 /

दिनांकः–

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेमाराम पुत्र लालाराम वगैरा 04।
4. विप्रार्थीगण श्री प्रहलादराम पुत्र श्री जुगताराम वगैरा 19।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:44:00 IST
Reason: SelfAttested